IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला स□ाक्तिकरण : संवैधानिक एंव अन्य विधिक प्रावधान

समन्वयक

डा0 (मृत्युंजय) कुमार राय

'ोध छात्रा

जरीना बानो

(एल0एल0एम0)

(तृतीय सेमेस्टर)

प्रस्तावना–

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है। वर्ष 2001–2002 में हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। वैदिक युग में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि – नर नारी प्रोद्दरति मज्जंत भववारि धौ।

अर्थात् संसार रूपी समुन्द्र में डुबते नर का उद्धार नारी करती है। तो फिर नारी कमजोर कैसे। लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसको शक्तिकरण की आवश्यकता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है। उनके आर्थिक फैसले ,सम्पत्ति ,आय और इसके दूसरे वस्तुओं की उपलद्धता से है। इन सब सुविधाओं को पाकर ही वह अपने आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊॅचा कर सकती है। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का सही अर्थो में तब समझ आयेगाा जब उन्हे अच्छी शिक्षा दी जाएगी। और उन्हे इतना काबिल बनाया जाए कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर निर्णय लें।

महिला सशक्तिकरण की बात उठते ही मस्तिष्क चिंतन करने लगता है कि क्या वास्तव में महिला कमजोर है। जो उसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

महिला स□ाक्तिकरण का अर्थ–

महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है– महिला को सम्पन्न बनाना स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना जाता है। सशक्तिकरण का आशय सत्ता प्रतिष्ठानो में स्त्रियों की साझेदारी है। अर्थात् उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर तरीको में समान अवसर राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति निर्धारण में भागीदारी समान कार्य के लिए समान वेतन , कानून के तहत सुरक्षा आदी।

दूसरे शब्दों में महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

महिला स□ाक्तिकरण के मुख्य पहलू–

माँगने से शिकायत करने से अथवा जतलाने से किसी की शक्तियॉ प्राप्त नही हुई है। शक्तियाँ तब प्राप्त होती है जब हम इसके लिए दावा करते है। इसके लिए सबसे पहले स्वंय को सशक्त बनाया जाए । आमतौर पर महिलाए भौतिकता ,निस्सारता , आत्मसम्मानहीनता निर्भरता एवं सेवकत्व के कारण कमजोर होते चले आये है।

समानता का अवसर –

समानता का अवसर यानि समान अवसर ,जिसमें सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समानता का अवसर प्रदान किया जाए । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है।

स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता –

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हे अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर आश्रित नही होनी चाहिए ।

आत्मवि□वास –

महिलाओं की आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देना जिससें वे अपनी क्षमता तथा आत्मविश्वास को पहचान सके और समाज में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

सामाजिक ,आर्थिक,और राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी–

महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनका मनोवल बढ़ाना चाहिए। जिससे वे सामाजिक , आर्थिक ,और राजनैतिक क्षेत्र में अपने को सक्रिय रूप से शामिल करें। जिससे देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

जागरूकता–

एक सशक्त महिला जागरूकता होती हैं। तथा उसे अपने अधिकारों की शिक्षा प्राप्त होती है। जब एक महिला अपने अधिकारों को जानती है। एवं समझती है। तब वह पहले एक व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों को जानती हो तथा बाद में उन्हें एक महिला के रूप में पहचानती हो । इसके बाद वह अपना दूसरा या अगला कदम उठाती है। जागरूकता को जब अपने कर्मो में उतार लिया जाता है। तब वह शक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है।

पसन्द को पूरा करने की भाक्ति–

एक सशक्त महिला को यह अधिकार होता है कि वह अपने सपने को पूरा करें एवं अपने अधिकारों का प्रयोग करें अर्थात् एक महिला अपने जीवन के हर पहलू एवं अपने शरीर या स्वंय के बारे में स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके ।एक सशक्त महिला यह जानती है कि उसे कौन सा कदम उठाना चाहिए और वह उसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र होती है। यदी कोई महिला घर में रहना चाहती है। अथवा वह कोई काम करना चाहती है या अविवाहित सहना चाहती है। तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रा मिलनी चाहिए ।

समाज में प्रचलित लिंग भेद से एक सशक्त महिला भली–भॉति परिचित होती है। भारतवर्ष की कुछ महिलाओं ने अपने सामने की रूकावटो को तोड डाला एवं अपने लक्ष्य को निश्चित किया और अपने

लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । एक सशक्त महिला को प्रायः सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ प्राप्त होते है। सशक्तिकरण का स्वप्न तब पूरा होगा। जब बड़े पैमाने पर समाज के हर वर्ग की नारी सशक्त हो जाएगी।

सूक्ष्मबदलाव–

व्यक्तिगत स्तर पर अर्थात् सूक्ष्म स्तर पर किया गया बदलाव काफी प्रभावशाली होता है। इसका मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति भी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन उसे दृढ़ निश्चय करना होगा एवं बाधाओं को पार करके आगे जाना होगा जिसे पता होता है। कि स्वप्न को किस प्रकार से साकार किया जाता है। एक सशक्त महिला सूक्ष्म स्तरीय वृत्ति द्वारा बदलाव ला सकती है। अपने इर्द– गिर्द के लोगो के सामने एक वैकल्पिक वृत्ति प्रस्तुत करती है। महिलाओं के लोगों के खिलाफ जारी हर प्रकार के भेदभाव का विरोध लगातार जारी रखना चाहिए।

बाहर से सशक्तिकरण की भाुरूआत होती है–

शुरूआत में महिलाओ का आन्दोलन कुछ शिक्षित एवं जानकार महिलाओं की आपसी सहमती तथा चर्चा से हुई जहाँ उन्होने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के सन्दर्भ में बात की।

सशक्तिकरण का मुद्दा सार्वजनिक हो जाने से महिलाए एवं पुरूष आपस में मिल– जुल कर आपस में बराबरी से रहेंगे किसी आन्दोलन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है। जब उसका उसका नेतृत्व उसके अन्दर से ही उभरे।

शिक्षा से वंचित रहना –

पुरूषवादी सोच महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहते है। वह सोच चाहे पुरूषो द्वारा अथवा महिला द्वारा प्रदर्शित किया गया हो ऐसा इसलिए किया जाता है। ताकि पुरूषवादी सोच के प्रभाव को कायम रखा जा सके यह सोच महिलाओं को ऐसा पूछने की इजाजत नही देना चाहते है। की संसार में उनकी क्या भूमिका है।

शारीरिक शोषण का शिकार महिलाओ को बनाया जाता है। उन्हे मारा –पीटा तथा प्रताड़ीत किया जाता है।

शिक्षा के अधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित करना भी महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार का हिंसा ही है।

हमारा पुरूषवादी समाज प्रायः लड़कियों से उनकी शिक्षा एवं सूचना का अधिकार छिनता आया है। ग्रामीण इलाको में परिवार लड़कियों के श्रम पर बहूत हद तक निर्भर होते है। बढ़ती हुयी गरीबी के कारण माता –पिता मजदूरी कराने के लिए विवश होते है। उन लड़कियों को घरेलू काम –काज में लगाए रखते है।

भारत में महिलाओं की आबादी करीब 50प्रतिशत अशिक्षित है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की शिक्षा 54.16 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत मात्र 46.70 ही है। सन् 2000 से लगातार लड़किया शिक्षा के क्षेत्र में लड़को को पीछे छोड़ती आ रही है।

महिलाओं के साथ महिलाओं का दुव्यवहार –

महिलाए अपने से छोटी महिलाओं को प्रायः नीची नजरिये से देखती है। जिस महिला का शोषण होता है। वह अपने से छोटी महिला पर जुल्म करती है। बहुत सारी महिलाएँ इस बात से अन्जान रहती है। उनसे कोई भूल हो रही है। यद्यपि वह अपने आचरण नही ठहराने की कोशिश करती है। अनेक परिवार में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित होती है।

महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह पुरूषों की क्षमता से दोगुनी क्षमता मानें।

महिलाओं के जातिगत रूकावट–

भरतीय समाज में सभी समूहों की महिलाओं का शोषण होता चला आ रहा है। विभिन्न जातियों की महिलाए आपस में मिलकर किसी साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नही कर पाती हैं। महिलाओं के मन में अपनी जाति की चेतना बनी रहती है। एक दलित महिला दो प्रकार से शोषण का शिकार होती है पहला यह कि वह दलित जाति से है । और दूसरा यह कि वह एक महिला है। दलित वर्ग के समूह द्वारा एवं बाहरी लोगो के द्वारा भी उसका शोषण होता रहता है।

वे□यावृत्ति के लिए बल प्रयोग–

लड़कियो तथा महिलाओं का यौन शोषण आज के समय की सबसे डरावनी सच्चाई है। जो भारतीय समाज के हर तरीके से व्याप्त है। भारत में सेक्स टूरिज्म का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में जबरजस्ती डाल दिया जाता है। जिससे संम्भवतः वह एड्स का शिकार बन गई हो ।

हो सकता है कि वह किसी काम की न रह गई हो अथवा वेश्यालयों में अपना जीवन बिता रही हो यदी वह भाग्यशाली हुई तो हो सकता है कि सरकार ने उसकी रक्षा की हो परन्तु ऐसा कभी भी नही हुआ है। उसके परिवार वाले ने अथवा समाज ने उसे स्वीकार कर लिया हो ।

उदाहरण–

कुछ वर्ष पहले मुम्बई के एक वेश्यालय से करीब 20 लड़कियों को मुक्त करवाया गया और उन्हे मैसूर भेजा गया क्योंकि सभी लड़किया मैसूर नगर के आस –पास के गावों की थी । एवं काफी गरीब परिवार से थी। उनकी उम्र 14–20 वर्ष थी।

भारतीय संविधान में महिला स□ाक्तिकरण सम्बन्धी प्रावधन –

मनुष्य एक स्वतंत्र प्रकृति का सामाजिक प्राणी है। जिसे अपने विकास तथा स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करने तथा अपने विचारों एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है।

अधिकार ही मनुष्य को प्रबलता प्रदान करती है। महिला अधिकार इसी क्रम की एक पीढ़ी है। जिससे नारी अबला से सबला तक का सफर तय कर सकती है। संविधान के आमुख में इस बपत का उल्लेख है। कि सभी समान अधिकार ,समान अवसर , न्याय एवं गरिमा प्राप्त हो मौलिक अधिकार इस बात की गारंटी देता है। की कानून में महिला एवं पुरूष दोनो को बराबरी का हक है।

संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रवधान भी है, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सकें।

भारतीय संविधान में महिला हित संम्बधित प्रवधान क्रमशः अनुच्छेद – 14,15 (8) (4) ,16 ,19 , 21, 23 ,24 ,42 ,47 ,243 (द) (7) 325 आदि।

जिन्हे अध्ययन की सरलता के लिए निम्न भागों में समझा जा सकता है।

1. उद्देशिका एवं महिलाएँ –

भारतीय संविधान की उद्देशिका सभी नागरिको कासामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभियुक्त विश्वास धर्म की स्वतंत्रा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए आबद्ध हो जो कि महिला कल्याण व अबलीकरण दिशा में तथा क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए उत्प्रेरित करता है।

2. मूल अधिकार व महिलाएँ–

मूल अधिकार व्यक्तियों को मिलनें वाले वे आधारभूत अधिकार होते है जो किसी देश के नागरिको के बौद्धिक , नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारो के उद्देश्यो पर निम्नलिखित टिप्पणी की है।

मूल अधिकारो का गहन स्त्रोत स्वतन्त्रता का संघर्ष है। मूल अधिकारो का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियो की गरिमा का संरक्षण करना है और उनके व्यक्तित्व का चौमुही विकास करना है।

समता का अधिकार–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का सामान्य नियम बताया गया है तथा विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से किसी व्यक्ति कसे वंचित करने हेतु राज्य को प्रतिविध्द करता है तथा इसमे समान अवसर समान अधिकार न्याय एवं गरिता प्रति का होगा। मौलिक अधिकार इस बात की गारंटर बासबार का है तथा उच्चतम न्यायालय ने महिलाओ के मौलिक अधिकारो की रक्षा की है।

एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिजौ एवं अन्य–

यह वाद महिला अधिर के इतिहास मे प्रमुख वाद है। इस वाद में एयर इण्डिया इम्पलाइज रेगुलेशन्स तथा इण्डिया एयर लाइन्स (फ्लाईग क्यू) सर्विस रेगलेशन के कुछ उपबन्ध भाारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरूध्द घोषित किये गये विनियम 46 यह उपन्धित करता है कि वायुयान परिचारिकाएँ निगम की सेवा से 35 वर्ष की आयु में या विवाह करने पर यदि यह विवाह सेवा के 4 वर्षो के अन्दर होता है या पहली बार गर्भवती होने पर सेवा से पद मुक्ति की शर्त अत्यन्त आयुनियुक्त है और विभेदकारी है तथा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। ऐसी परिस्थिति में वायु परिचारिका की सेवामुक्ति न केवल निर्दयतापुर्वक कृत्य है वरना भारतीय नारी का खुला अपमान है।

महिलाओ के लिये विशेश उपबन्ध –

भारतीय संविधान के अनुच्छछेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के अधार पर भेदभाव का निषेध करता है साथ ही महिलाओं और बच्चो के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है अनुच्छेद 15 का उद्देश्य समानता को बढावा देना और विभिन्न कारको के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।

काठी रंनिग बनाम सौराष्ट्रराज्य–

के मामले विभेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया हे कि विभेद शद्व का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरो की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है।

श्रीमती ए0 केकनेल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0–

के मामले में इलहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है। कि महिलाओं को मात्र महिला होने के कारण सम्पत्ति धारण करने अथवा उसका उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता है।

यदि कोई विधि इस आधार पर सम्पत्ति से वंचित करती है तो वह असंवैधानिक मानी जाएगी।

जीवन का आधार –

संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार दिया गया है। जीवन के अधिकार का अर्थ पाश्विक जीवन नही बल्कि असम्मान ढ़ग से जीना है।

वि□व जागृति मि□ान बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया –

के मामले में महिलाओं की शैक्षणिक संस्थाओं में रेगिंग की पीड़ा को दूर करने की न्यायालय द्वारा पहल की गई है। रेगिंग से रक्षा को संविधान के अनुकूल के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना गया है।

भाोशण के विरूद्ध अधिकार –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में महिलाओं एवं बालको के शोषण के विरूद्ध उपचार का व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बेगार का प्रतिषेध करता है। स्त्रीयों एवं बालको अनैतिक व्यापार मानव दुर्व्यवहार का ही एक अंग है। आज भी निर्धनता एवं विवशता नारी को देह व्यापार की ओर प्रवृत्त किये हुए है। कोठे और वेश्यता , सराय और विरूवमालय आदि नारी देह व्यापार के अड्डे बने हुए है। जो मानविय गरिमा का उल्लघन है।

संसद द्वारा सन् 1956 में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम तथा स्त्री अशिष्ट रूप से अधिनियम 1956 पारित किये गये है।

समान कार्य के लिए समान वेतन –

समान कार्य के लिए महिला तथा पुरूषों को समान वेतन मिलना चाहिए महिलाओं को पुरूषो से कम वेतन नही मिलना चाहिए। आर्थिक सामानता के अधिकार के लिए समान परिश्रमिक अधिनियम , 1976 अनुप्रयोग से लाया गया है।

महिला सशक्तिकरण से संम्बधित अन्य विधीक प्रवधान –

महिलाओं के हित में अन्य विधायी उपाय –

संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुपाालन में सरकार द्वारा स्त्रीयों की स्थिति को सुधारने तथा उनकी निर्योग्यताओं को दूर करने तथा उनकी स्थिति को ऊचा उठाकर उन्हे पुरूषों के समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया है। जो निम्नलिखित है।

1. स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम , 1956
2. दहेज निरोधक अधिनियम ,1961
3. सती प्रथा निशेध अधिनियम ,1829
4. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ,1956
5. समान परिश्रमिक अधिनियम 1976
6. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं तथा विधायी उपायों के बाद भी स्त्रियों की दशा में व्यवहारतः अधिक सुधार परिलक्षित नही होता है। क्योंकि स्त्रियों को अब भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो निम्नलिखित है।

1. लिंग सम्बधिंत भेदभाव
2. शिक्षा और बेरोजगाार की समस्या
3. पोषण और स्वास्थ्य की समस्या
4. यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न
5. दहेज और विवाह विच्छेद की समस्या
6. महिलाओं के प्रति हिंसा
7. **विधवाओं एवं परित्यागकताओं की समस्या आदि।**

भारतीय महिलाओं को सहस्यों वर्षो से इन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की समस्याओं को सुधार स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना ,स्त्री शिक्षा का प्रसार , मातृत्व का अधिकार , प्रचलित प्रतिको के खिलाफ मोर्चा और जनमत का निर्माण करके हल किया जा सकता है।

महिलाओं की राश्ट्र निमार्ण में भूमिका –

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पद लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है। तथा स्वयं अपना निर्णय लेते है। अब वह चार दीवारी से निकलकर देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। महिलाए हमारी देश की अबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसी वजह से राष्ट्र के विकास तथा उन्नति के लिए महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आज की महिला पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बडे से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का महिलाए अपने योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है।

निश्कर्श –

जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेज तरक्की करने वाले देशो में शुमार हुआ है। उसे देखते हुए भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी अपना ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। 21 वी0 शदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की शदी है। महिलाए अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी है। आज की नारी जागृत और सचेत हो गई है।

नारी जब अपने उपर थोपी हुई बेडियों एवं कडियों को तोडने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे रोक नही पाएगी।

यह एक सुखद संकेत है। लोग अपनी –अपनी सोच बदल रहे है। फिर भी इस दशा में और प्रयास एवं कार्य करने की जरूरत है। तब जाकर महिला सही अर्थो में सशक्त हो पाएगी।

सन्दर्भः–

1. **एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिर्जा एवं अन्य**
2. **काठी रंनिग बनाम सौराष्ट्रराज्य–**
3. **श्रीमती ए0 क्रेकनेल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0**
4. **विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी**